



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र० (भास्ति)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक: / ०७८/ कु०स०का० / सि०वि०वि० / 2026

दिनांक-27-10-2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय- जनगणना-2027 के लिए संस्थागत/छात्रावास परिसरों के भीतर सभी छात्रों, कर्मचारियों और अन्य निवासियों की गणना हेतु विश्वविद्यालयों, कालेजों और छात्रावासों के प्रमुखों की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक जिला अधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी कार्यालय, सिद्धार्थनगर, उ०प्र० के पत्र संख्या-DM/PCO/CENSUS-2027/PH-II/UNIV-COL/343/2026 दिनांक-15.10.2026 के पत्र संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम्बन्धित द्वारा निर्देशित किया है कि भारत की जनगणना-2027 (अधिनियम-1948, नियम-1990) के प्रावधानों के तहत जनपद सिद्धार्थनगर में जनसंख्या गणना का द्वितीय चरण 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 तक निर्धारित है, जिससे पूर्व 16-30 नवम्बर, 2026 तक स्वगणना (Self-Enumeration/SE) होगी, तथा 05 से 09 जनवरी, 2027 तक पुनरीक्षण चरण (Revisional Round) आयोजित किया जायेगा। इस दौरान परिसर/छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों, शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों की गणना संस्थागत परिवार (Institutional Household) के रूप में की जानी अनिवार्य है।

तदक्रम में समस्त प्राचार्य/प्राचार्या से अनुरोध है कि संलग्न पत्र के अनुसार अपने-अपने महाविद्यालय स्तर पर एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी नामित करते हुए सम्पूर्ण गणना अवधि के दौरान निवासरत सभी छात्रों एवं कर्मचारियों एवं सम्बन्धित चार्ज अधिकारी और जनगणना कार्मिकों के साथ समन्वय स्थापित कर जनसंख्या गणना के द्वितीय चरण 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 में आवश्यक रूप सहभागिता एवं सूचना को प्राथमिकता दें और कड़ाई से अनुपान सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(Signature)

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

(Signature)

पत्रांक: / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त संकायाध्यक्ष, सि०वि०वि०, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. अभिरक्षक-महिला एवं पुरुष छात्रावास।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति महोदया, के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लागिन पर अपलोड करने हेतु।
5. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & PRINCIPAL CENSUS OFFICER

जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी कार्यालय

DISTRICT: SIDDHARTH NAGAR UTTAR PRADESH

जनपद: सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश

No.: DM/PCO/CENSUS-2027/PH-II/UNIV-COL/ 343/2026

Date: 15/10/2026

NOTICE

विषय: जनगणना 2027 के लिए संस्थागत/छात्रावास परिसरों के भीतर सभी छात्रों, कर्मचारियों और अन्य निवासियों की गणना हेतु विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रावासों के प्रमुखों की जिम्मेदारी के संबंध में।

सेवा में,

1. कुलपति / कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय;
2. प्राचार्य / निदेशक, समस्त कॉलेज, आवासीय विद्यालय एवं संस्थान;
3. वार्डन / अधीक्षक, समस्त छात्रावास (विश्वविद्यालय/कॉलेज/निजी)

भारत की जनगणना, 2027 जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के वैधानिक प्रावधानों के तहत आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश, जनपद सिद्धार्थनगर में जनसंख्या गणना का द्वितीय चरण 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 (संदर्भ अवधि) तक आयोजित किया जाना निर्धारित है, जिससे पूर्व 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना (Self-Enumeration/SE) होगी, तथा 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण चरण (Revisional Round) आयोजित किया जाएगा। संदर्भ अवधि के दौरान परिसर/छात्रावास परिसरों के भीतर निवास करने वाले तथा संस्थान की साझा रसोई/मैस से भोजन प्राप्त करने वाले सभी छात्रों, शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों की गणना संस्थागत परिवार (Institutional Household) के रूप में की जानी अनिवार्य है। संस्थागत परिवार स्व-गणना (Self-Enumeration) के लिए पात्र नहीं हैं और जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणक (Enumerator) द्वारा सीधे इनकी गणना की जाएगी। हालांकि, शैक्षणिक कर्मचारी, सहायक कर्मचारी जैसे केयरटेकर (केयरटेकर) और माली, जो पृथक सामान्य परिवार (Normal Households) के रूप में परिसर के भीतर निवास करते हैं (अर्थात् जो संस्थान को साझा रसोई/मैस से भोजन नहीं लेते हैं), वे स्व-गणना के लिए पात्र हैं, और इसके लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।

तदनुसार, सभी संस्थान/छात्रावास प्रमुखों को निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है:

1. संस्था प्रमुख (कुलपति/कुलसचिव/प्राचार्य/निदेशक) और छात्रावास वार्डन/अधीक्षक, जैसा भी लागू हो, जनसंख्या गणना अवधि के दौरान परिसर/छात्रावास परिसर के भीतर सभी छात्रों, कर्मचारियों और अन्य निवासियों की गणना के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार होंगे।
2. प्रत्येक संस्थान/छात्रावास के लिए एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी नामित करें, जो संपूर्ण गणना अवधि के दौरान सभी छात्रों और कर्मचारियों तथा संबंधित चार्ज अधिकारी और जनगणना कार्मिकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
3. इस सूचना की प्राप्ति के 3 (तीन) दिनों के भीतर नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, पदनाम और पता संबंधित चार्ज अधिकारी को सूचित करें।
4. नामित नोडल अधिकारी संबंधित चार्ज अधिकारी/पर्यवेक्षक (Supervisor)/प्रगणक (Enumerator) के साथ संस्थागत परिवार (छात्रावासियों) के प्रपत्र/अनुसूची (Schedules) भरने में सुविधा प्रदान करेगा। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निवासियों द्वारा सभी आवश्यक जानकारी विधिवत प्रदान की जाए और पूर्ण किए गए प्रपत्रों का पूरा विवरण रखा जाए।
5. परिसर के भीतर निवास करने वाले सभी सामान्य परिवारों (जैसे कि केयरटेकर, माली और अन्य सहायक कर्मचारी जो परिसर के भीतर रहते हैं लेकिन संस्थान की साझा रसोई/मैस से भोजन नहीं लेते हैं) की पहचान करें और उनकी एक सूची तैयार करें। नोडल अधिकारी 16-30 नवंबर 2026 के दौरान इन परिवारों की स्व-गणना (SE) को प्रोत्साहित और सुगम बनाएगा, तथा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उत्पन्न SE-ID एकत्र करेगा।
6. छात्रावास निवासी और अन्य संस्थागत परिवार स्व-गणना के लिए पात्र नहीं हैं तथा जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणक द्वारा ही उनकी गणना की जाएगी।
7. जनसंख्या गणना के समय सामान्य परिवारों की SE-ID तथा संस्थागत परिवारों के एकत्रित विवरण संबंधित प्रगणक/पर्यवेक्षक को सौंपें, ताकि वे अपने PE मोबाइल ऐप में प्रविष्टि कर सकें।
8. आवश्यकता पड़ने पर भरे गए प्रपत्रों के संबंध में पर्यवेक्षक/प्रगणक को सहायता प्रदान करें।

सुरक्षाकर्मियों और गेटकीपरों को अग्रिम रूप से संवेदनशील बनाएं कि वे पूर्व अपॉइंटमेंट का आग्रह किए बिना, वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर प्रणाली/पर्यवेक्षकों को प्रवेश की अनुमति दें।

10. शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले जनगणना कर्मियों पर कोई प्रवेश शुल्क, आगंतुक शुल्क या गेट-पास की शर्त लगाने से बचें।
11. इस सूचना को, परिशिष्ट-क (Annexure-A) सहित, संस्थान/छात्रावास के सूचना पट्टों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें, और इसे संस्थागत वेबसाइटों, सूचना परिपत्रों, छात्रावास के व्हाट्सएप ग्रुप/ई-मेल तथा अन्य लागू संचार माध्यमों के जरिए छात्रों और कर्मचारियों के बीच प्रसारित करें।

असहयोग, बाधा उत्पन्न करने, या जनगणना अधिकारियों को जानकारी देने से इनकार करने को गंभीरता से लिया जाएगा और जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को रिपोर्ट किया जाएगा। सभी संस्थान/छात्रावास प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस सूचना को प्राथमिकता दें और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए, संस्थान/छात्रावास संबंधित चार्ज अधिकारी / उप-जिलाधिकारी (SDM) के कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।


जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी,
जनपद सिद्धार्थनगर

संलग्नक: परिशिष्ट-क -- नोडल अधिकारी के लिए सूचना संग्रह प्रारूप -- 1 पृष्ठ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

- (1) जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त उप-जिलाधिकारी / चार्ज अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/छात्रावासों में इसे प्रसारित करें।
- (2) समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं समस्त कॉलेजों के प्राचार्य, को उनके अधीन/संबद्ध एवं घटक संस्थानों तथा छात्रावासों में आगे प्रसारित करने हेतु।
- (3) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/एन.आई.सी. (NIC), को इस अनुरोध के साथ कि इस सूचना तथा परिशिष्ट को जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।


जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी,
जनपद सिद्धार्थनगर